राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 12443/2017</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
देवदत्त शर्मा गीता कॉलोनी, वार्ड न. 24, केजी बस स्टेण्ड, खेरथल, अलवर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव जयपुर डिस्कॉम, विधुत भवन, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 22-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री एन. डी. शर्मा, सहायक सचिव, जेविविएनएल उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 14-10-2016 के द्वारा अपीलार्थी के पूर्व पत्र दिनांक 20-9-16 के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थी की प्रथम अपील भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने एवं पंजीकृत नहीं होने के कारण उनकी प्रथम अपील पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

6. प्रत्यर्थी आयोग के नोटिस के संदर्भ में पत्र दिनांक 23-02-2018 द्वारा दिये गये अपीलोत्तर से उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अपीलोत्तर में भी प्रत्यर्थी ने यही बताया है कि आवेदक का आवेदन पत्र कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। प्रत्यर्थी के कथन की पुष्टि इस बात से भी होती है कि अपीलार्थी ने आवेदन शुल्क का कोई प्रमाण भी संलग्न नहीं किया है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया दिनांक 29-01-2018 प्रस्तुत की गई है जिसमें अपीलार्थी ने वांछित सूचना प्राप्त होना नहीं बताया है।राज्य लोक सूचना अधिकारी

का विनिश्चय उचित मानाते हुए अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त